न्यायालय अपर समाहर्ता, राँची

एस ए आर अपील 50 आर–15/07–08

कमालुद्दीन खाँ — अपीलकर्ता

बनाम

पलई पाहन वगैरह — प्रतिवादी

आदेश

8
12.02.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 75/05–06 में विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक 5.4.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का आदेश दिया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
ईद	47	110	0.06 एकड़
		111	0.33 एकड़
		कुल	0.39 एकड़

अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि विवादित जमीन आदिवासी खाते की नहीं है। रिवीजनल सर्वे में लाल खान के नाम दर्ज है। लाल खान की मृत्यु के बाद उसके नाबालिग पुत्र को गुमराह कर नासिरुद्दीन खान ने जमीन निबंधित करवा लिया जो गलत है। विपक्षी ने 18.7.1985 को अपीलकर्ता से 1957 रुपैया नेकर सादा पट्टा से जमीन हस्तांतरित कर दिया है एवं निबंधन भी कराने का आश्वासन दिया। परन्तु ऐसा न कर अपीलकर्ता से बराबर जमीन के एवज में पैसा लेते रहे हैं। अपीलकर्ता चौबीस बर्षों से विवादित जमीन में दखलकार हैं। दिनांक 25.7.2005 को विपक्षी ने यह जमीन बीबी फातिमा को सादा पट्टा द्वारा बिक्री कर दिया जो गलत है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन के तथ्यों का ही पुनः उल्लेख किया। इनका कहना है कि विवादित जमीन खतियान में बेआइनी

बकब्जे जमशेद अली के नाम दर्ज है। जमशेद अली ने सादा पट्टा से 1949 में हस्तांतरित किया है तभी से दखलकार हैं। नासीरुद्दीन ने प्रतिवादी को 1968 में अन्य भूमि के साथ यह जमीन भी हस्तांतरित किया था। अपीलकर्ता ने 3 डिसमिल जमीन में मकान का निर्माण किया है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 17.1.2008 को दखल देहानी भी दिया गया जबकि अपील विचाराधीन है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता का दावा विरोधाभासी है। अपील आवेदन में जमीन बंदोबस्ती से प्राप्त होने की बात कही गयी है। विवादित जमीन प्रतिवादी ने दिनांक 20.01. 1968 को निबंधित बिक्री पट्टा द्वारा प्राप्त किया है।

वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता का दावा सादा पट्टा पर आधारित है जो कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। उनके द्वारा 18.7.1985 का सादा पट्टा पेश किया गया है जिसमें करमा पाहन वगैरह द्वारा कमालुद्दीन खॉ को खेसरा संख्या 110, 111 में 39 डिसमिल भूमि हस्तांतरित है। इस प्रकार का हस्तांतरण भारतीय निबंधन अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के प्रतिकुल है जिसमें 100 रुपैये से उपर के मूल्य की भूमि को निबंधित दस्तावेज से ही हस्तांतरण हो सकता है।

इस प्रकार का दस्तावेज आदिवासी की भूमि हड़पने के लिए तैयार किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश नियमानुकूल और तथ्यों पर आधारित है। अतएव अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांकः— 12.2.2008

लेखापित वो संशोधित

अपर समाहर्ता
रॉची।